तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7442/2006/बीकानेर मजीद बनाम गावरअली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

1. श्री बकुल कुमार, अधिवक्ता, प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से
2. श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता, प्रार्थी संख्या 3 की ओर से
3. श्री भीयाराम चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से अनडरटेकिंग
4. श्री अमृतपाल सिंह एवं श्री मनीष पाण्डया, अधिवक्तागण, प्रस्तुतकर्ता आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी.

निर्णय

दिनांक 28.09.2020

प्रार्थीगण ने यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2006 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद अप्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, 188 अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कृषि भूमि स्थित चक 24 बी.एस.डी. के मुरब्बा नम्बर 46/30 की 7 बीघा, 46/31 की 25 बीघा, 46/32 की 25 बीघा, 46/39 की 25 बीघा, 46/40 की 8 बीघा, 46/47 की 25 बीघा कुल 115 बीघा भूमि के बाबत विचारण न्यायालय सहायक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7442/2006/बीकानेर मजीद बनाम गावरअली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा वाद के दौरान विवादित आराजी पर स्थगन के अनुतोष हेतु प्रार्थीगण वादीगण ने अपने वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने धारा 212 के प्रकरण को संख्या 32/2006 पर आदेश दिनांक 30–08–2006 से दर्ज कर विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाये रखने के आदेश प्रदान किये। आगामी पेशी दिनांक 22–09–2006 को स्थगन की अवधि पुनः बढ़ाते हुये प्रकरण में पेशी दिनांक 13–10–2006 नियत की गई। तद्उपरान्त आगामी पेशी दिनांक 13–10–2006 के रोज स्थगन की अवधि बढ़ाने बाबत कुछ भी दर्ज नहीं किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी स्थगन की अवधि बढ़ाने बाबत मण्डल के समक्ष पेश की है। हमने उभयपक्षों के योग्य अधिवक्तागण की अंतिम बहस निगरानी के गुणावगुण एवं तीनों प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. क्रमशः दिनांक 06–03–2020 एवं 21–09–2020 तथा अन्य प्रार्थना पत्रों क्रमशः दिनांक 13–08–2020 व 02–09–2020 आदि पर सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में वर्णित कथनों का दोहरान करते हुये विचारण न्यायालय के निगरानीधीन आदेश को न्याय, नियम विरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया। उनका कथन है कि स्थगन की अवधि आगामी पेशी पर न बढ़ाये जाने से विवादित आराजी असंरक्षित हो चुकी है, जिसके खुर्दबुर्द होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है एवं विचारण न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण के स्थगन की अवधि आगे नहीं बढ़ाई है इसलिये स्थगन की अवधि आगे नहीं बढ़ाये जाने के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7442/2006/बीकानेर मजीद बनाम गावरअली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कोई कारण एवं आधार न होने से निगरानीधीन आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा स्थगन की अवधि बढ़ाये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र भी दिनांक 20-10-2006 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था किन्तु उसे भी विचारण न्यायालय ने अनदेखा कर अनिर्णित रखते हुये त्रुटि की है। उनका कथन है कि यह निगरानी दिनांक 31-10-2006 से मण्डल में लम्बित है एवं तब से ही विवादित आराजी पर मण्डल के आदेश दिनांक 31-10-2006 से ही स्थगन आदेश आज दिनांक तक यथावत है। उनका कथन है कि मूल वाद एवं धारा 212 के प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के अभिभाषक त्रुटि की वजह से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16-03-2007 को डी.डी. जरूर हुये थे किन्तु वे पुनः नम्बर पर रेस्टोर किये जा चुके है इसलिये निगरानी निष्प्रभावी नहीं हुई है। उनका कथन है कि मूल वाद में विवादित आराजी का टाईटल डिस्प्यूटेड है इसलिये न्याय हित में निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश अपास्त कर स्थगन की अवधि ताफैसला वाद बढ़ायी जावे। इसके प्रतिउत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि निगरानीधीन आदेश अन्तरिम आदेश होने से इसके विरूद्ध निगरानी धारा 230 के तहत मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं है अतः निगरानी खारिज की जावे। योग्य अधिवक्ता श्री अमृतपाल सिंह एवं श्री मनीष पाण्डया ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के प्रस्तुतकर्तागण की ओर से बहस करते हुये स्वयं को निगरानी में पक्षकार बनाकर निगरानी का निस्तारण विधिवत तरीके से गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7442/2006/बीकानेर मजीद बनाम गावरअली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा निगरानी ज्ञापन एवं संलग्न समस्त दस्तावेज एवं निगरानीधीन निर्णय तथा सम्पूर्ण फर्द अहकाम आदि का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 32/2006 की फर्द अहकाम से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र को आदेशिका दिनांक 30–08–2006 से दर्ज करते हुये अग्रिम पेशी तक विवादित आराजी बाबत स्थगन आदेश जारी कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। तद्उपरान्त विचारण न्यायालय ने अग्रिम पेशी दिनांक 22–09–2006 को तो स्थगन बढ़ाने बाबत अपने निष्कर्ष उक्त आदेशिका में अंकित किये है किन्तु पेशी दिनांक 13–10–2006 को बिना किसी कारण के स्थगन की अवधि आगे नहीं बढ़ायी गई है इसलिये बिना कारण व आधार के स्थगन की अवधि आगे नहीं बढ़ाया जाना न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। यद्यपि विधि की यह भी सुस्थापित स्थिति है कि एक बार प्रदत्त स्थगन जब तक न्यायालय के विशेष आदेश से खारिज अथवा वैकेट नहीं कर दिया जाता है तब तक उसे बढ़ा हुआ ही माना जाता है एवं इसी स्थिति को देखते हुये माननीय मण्डल द्वारा भी भिन्न–भिन्न समय पर परिपत्र जारी कर यह उद्धरित किया है कि स्थगन की अवधि किसी कारणवश नहीं बढ़ पायी है तो इसे बढ़ा हुआ ही माना जावे। अतः उपरोक्त विधिक विवेचन उपरान्त यह स्वयं में ही सिद्ध है कि स्थगन आदेश दिनांक 30–08–2006 किसी भी विशेष आदेश से खारिज अथवा वैकेट ना होने के कारण आज भी प्रभाव एवं प्रवर्तन में है। प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक मूल वाद अथवा धारा 212	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7442/2006/बीकानेर मजीद बनाम गावरअली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के प्रार्थना पत्रों का अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाने से निगरानी के निष्प्रभावी होने बाबत प्रश्न है उस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी बज्जू के द्वारा प्रकरण संख्या 231/2020 तथा 183/2020 आदेश दिनांक 20–03–2020 की प्रमाणित प्रतियों से उनके पुनः रेस्टोर होना परिलक्षित है इसलिये निगरानी निष्प्रभावी नहीं मानी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण चूंकि धारा 212 से सम्बन्धित है एवं पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु प्रस्तुत करने वाले आवेदकगण द्वारा इस निगरानी में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो रहा हो कि इन्हें मूल वाद में पक्षकार बनाया जा चुका हो अथवा इनका आवेदन मूल वाद में लम्बित हो। चूंकि मूल वाद में पक्षकार बने बगैर धारा 212 के प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता है इसलिये ऐसी स्थिति में सभी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. निरस्त करते हुये इन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि ये अपने आवेदन मूल वाद में विचारण न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें तथा विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसे आवेदन पेश होने पर वे इनका विधिवत निस्तारण करें। अतः उपरोक्त कारणों व आधारों के फलस्वरूप यह निगरानी उपरोक्त विवेचन अनुरूप निर्णित की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण उभयपक्षों को सुनकर नियमानुसार तीन माह में करें एवं तब तक विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 30–08–2006 यथावत रहेगा। उपरोक्त निर्णय प्रति नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7442/2006/बीकानेर मजीद बनाम गावरअली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	